जन आधार

जन आधार

राजस्थान सरकार

आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांकः–एफ.17(8)22/डीईएस/रा.ज.आ.यो./का.स. बैठक/2020/1391 दिनांकः 30.05.2025

कार्यकारिणी समिति की 11वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की 11वीं बैठक शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 28.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे योजना भवन के भू–तल स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। उक्त बैठक में चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए –

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग/अधिकारी
1.			
(i)	पूर्व में स्थापित 300 एटीएम की वर्तमान उपयोगिता हेतु आरआईएसएल द्वारा की गई आंतरिक बैठक दिनांक 06.09.2024 के कार्यवाही विवरण का सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर जन आधार प्राधिकरण को अवगत कराया जाये एवं इसका एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करावें।	• उक्त 300 एटीएम की वर्तमान उपयोगिता एवं इसमें लगी मशीनरी की विक्रय लागत का विश्लेषण करने हेतु एक भौतिक निरीक्षण समिति का गठन किया जावे। • उक्त समिति की अनुशंषा के आधार पर निस्तारण की कार्यवाही की जावे। • निस्तारण की कार्यवाही कर राजकॉम्प को हस्तांतरित राशि रूपये 40.00 करोड़ में से शेष राशि 27.18 करोड रूपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा उक्त राशि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को वापस लौटाई जावे।	प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम्प इन्फों सर्विसेज लिमिटेड
(ii)	जन आधार के नवीन नामांकन/अद्यतन में निवासियों के बैंक खातों का सत्यापन NPCI (National Payment Corporation of India) के माध्यम से प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये – (i) NPCI से एमओयू किया जाना है। (ii) सत्यापन में होने वाले व्यय की अनुमति हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की जानी है। इस प्रकार सत्यापित बैंक खातों को सत्यापन से मुक्त रखा जाना है।	उक्त अद्यतित बैंक खातों के सत्यापन हेतु NPCI से शीघ्र एमओयू किया जाना है। अतः इस हेतु वित्त विभाग में विचाराधीन पत्रावली के निस्तारण हेतु वित्त विभाग से समन्वय करें।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.05.30 19:11:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15629202

जन आधार

जन आधार

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग / अधिकारी
(iii)	उम्रदराज निवासियों की आधार में बायोमेट्रिक डेटा इनपुट अर्थात फिंगरप्रिंट/आईरिस नहीं आने व आधार में मोबाईल से ऑनलाईन ई–केवाईसी (eKYC) नहीं हो पा रही है, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जन आधार में ऑफलाईन आधार अधिप्रमाणन का प्रावधान करना। ऑफलाईन KYC का प्रावधान जन आधार एप्लीकेशन में कर दिया गया।	• द्वितीय सत्यापनकर्ता के स्तर पर उम्रदराज निवासियों जिनके फिंगरप्रिंट अथवा आईरिस नहीं आ रहे है उनकी ऑफलाईन KYC की जा रही है। उक्त सभी ऑफलाईन KYC के लिए अपलोड दस्तावेजो का प्राधिकरण स्तर पर शत् प्रतिशत सत्यापन किया जावे। • यह प्रक्रिया केवल अपवाद स्वरूप ही अपनाई जानी चाहिये। इसके लिए पुनः दिशा–निर्देश जारी किये जावे।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
(iv)	यदि जन्म दिनांक आधार से सत्यापित नहीं होती है तो निम्नलिखित दस्तावेजों को आयु का प्रमाण माना जाना – ✓ जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ✓ किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय या केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा जारी मार्कशीट/प्रमाण पत्र ✓ केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ पीएसयू /रेगुलेटरी निकाय/वैधानिक निकाय द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र **जन आधार में जन्म दिनांक अद्यतन की सीमा केवल 2 बार निर्धारित किया जाना है।** प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई साथ ही इस प्रस्ताव को राजस्थान जन आधार प्रधिकरण की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	उक्त प्रस्ताव पर पुनः विचार किया गया तथा इस पर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से विचार–विमर्श करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
(v)	ई–मित्र, जन आधार नामांकन एवं अद्यतन में कोई त्रुटि नहीं करे इस हेतु ई–मित्र व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कर प्रशिक्षण दिये जाने एवं	• ई–मित्र व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल, एफएक्यू एवं विडियो बनाकर राजस्थान जन आधार	तकनीकी निदेशक, ई–मित्र एवं

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.05.30 19:11:27 IST
Reason: Approved

जन आधार

जन आधार

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग / अधिकारी
	जिन ई–मित्र संचालको द्वारा बार–बार त्रुटियां / फ्रॉड किये जा रहे है उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।	प्राधिकरण की वेबसाईट पर नियमित रूप से अपलोड करें ताकि निदेशक, ई–मित्र द्वारा ई–मित्र संचालकों प्रशिक्षण दिया जा सके। ● एक Fraud Detection Team का गठन किया जावे तथा टीम डिटेक्ट किये Fraud के प्रकरणों का विश्लेषण कर नियमित कार्यवाही करें। ● जिन ई–मित्र संचालको द्वारा बार–बार त्रुटियां / फ्रॉड किये जा रहे है उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को अवगत करावें।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
(vi)	जन आधार डेटाबेस में राज्य कर्मचारियों के परिवारों के सामाजिक सुरक्षा पेंशनर सदस्यो का पता लगाने के लिए Employee ID एवं PPO Numbers का मिलान करना।	● जन आधार डेटाबेस मे राज्य कर्मचारियों के Employee ID/RGHS एवं PPO Numbers का मिलान करें, जिनके परिवार में से स्वयं अथवा कोई न कोई एक सदस्य समाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे है। ● उक्त लाभार्थियों / कर्मचारियो की सूची सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की कार्यवाही शीघ्र करावें।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
2.	जन आधार एप्लीकेशन 2.0 का अनुमोदन।	● जन आधार एप्लीकेशन 2.0 का विस्तृत प्रस्तुतीकरण आरआईएसएल टीम द्वारा किया गया। ● जन आधार 2.0 एप्लीकेशन की यूएटी करने का अनुमोदन किया गया तथा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये। ✓ जन आधार 2.0 एप्लीकेशन को शीघ्रातिशीघ्र GO Live किया जावे। ✓ जन आधार 2.0 एप्लीकेशन का **आधार एप्लीकेशन** के मानकों के अनुसार तैयार किया जावे। ✓ जन आधार 2.0 एप्लीकेशन में **Large Language Models (LLM)** एवं **Blockchain** का उपयोग करने पर विचार किया जावे।	प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम्प इन्फों सर्विसेज लिमिटेड

Signature valid

Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.05.30 19:11:27 IST
Reason: Approved

जन आधार

जन आधार

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग/अधिकारी
3.	ग्रामीण क्षेत्र में द्वितीय स्तर के सत्यापन का अधिकार संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को प्रदान करना।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में द्वितीय स्तर के सत्यापन का अधिकार ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को दिया जाने हेतु परिपत्र जारी किया जावें।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
4.	जन्म के समय बच्चे का पहचान पोर्टल से स्वतः नामांकन बिना नाम एवं फोटो के किये जाने पर चर्चा। ✓ पहचान पोर्टल से जन्म प्रमाण पत्र में शिशु का नाम रखना वैकल्पिक है जिसे शिशु के 15 वर्ष तक का होने तक जोड़ा जा सकता है। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र में शिशु की फोटो नहीं होती है। ✓ जन्म प्रमाण पत्र में शिशु की माता के जन आधार में आधार संख्या तथा सदस्य संख्या (Member Id) उपलब्ध होने की स्थिति में ही शिशु का नाम जन आधार में स्वतः जोड़ा जाना। ✓ उस जन आधार में माता से संबंधित सूचना आधार से अधिप्रमाणित होनी चाहिए। ✓ शिशु का वास्तविक नाम उपलब्ध होने तक जन आधार में शिशु का नाम स्वत : जोड़ने हेतु उसका नाम **बेबी ऑफ माता का नाम** रखा जावे। ✓ शिशु का वास्तविक फोटो उपलब्ध होने तक जन आधार में शिशु की फोटो के स्थान पर "टू बी अपडेट" लिखा जावे।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा जन्म के समय बच्चे का पहचान पोर्टल से स्वतः नामांकन बिना नाम एवं फोटो के किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया गया। ✓ जन्म प्रमाण पत्र में शिशु की माता के जन आधार में आधार संख्या तथा सदस्य संख्या (Member Id) उपलब्ध होने की स्थिति में शिशु का नाम जन आधार में स्वतः जोड़ा जावे। ✓ उक्त जन आधार में माता से संबंधित सूचना आधार से अधिप्रमाणित होनी चाहिए। ✓ शिशु का वास्तविक नाम उपलब्ध होने तक जन आधार में शिशु का नाम स्वतः जोड़ने हेतु उसका नाम **बेबी ऑफ माता का नाम** रखा जावे। ✓ शिशु का वास्तविक फोटो उपलब्ध होने तक जन आधार में शिशु की फोटो के स्थान पर "टू बी अपडेट" लिखा जावे। ✓ जन्म प्रमाण पत्र में शिशु का नाम अद्यतन कराने पर जन आधार में स्वतः अद्यतित हो जावे।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
5.	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा पूर्व में किये गये बैंक खातों की क्वालिटी चैकिंग के कार्यों में वे खाते जिनमें आवश्यक दस्तावेज या तो खाली है या गलत है, उनके डिएक्टिवेशन हेतु निर्णय करवाना।	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा किये गये बैंक खातों की क्वालिटी चैकिंग के कार्यों में वे खाते जिनमें आवश्यक दस्तावेज या तो खाली है या गलत है, उन बैंक खातों का राज्य स्तर पर पुनः सत्यापित किया जावे।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
6.	डीबीटी योजनाओं का डेटा का रियल	स्वतः पुल अथवा स्वतः पुश की व्यवस्था	निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.05.30 19:11:27 IST
Reason: Approved

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग/अधिकारी
	टाईम रिपोर्टिंग के लिए स्वतः पुल अथवा पुश की व्यवस्था पर विचार विमर्श।	हेतु विभागवार योजनाओं का विश्लेषण किया जावे।	(तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
7.	राजस्थान जन आधार योजना की प्रगति की समीक्षा।	जन आधार योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(निर्मल कुमार सेठी)
निदेशक

क्रमांकः–एफ.17(8)22/डीईएस/रा.ज.आ.यो./का.स. बैठक/2020/1391 दिनांकः 30.05.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, रा.ज.आ. प्राधिकरण, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
8. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
10. निदेशक वित्त, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
11. तकनीकी निदेशक (ई–मित्र), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
12. तकनीकी निदेशक (जन आधार), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
13. एसीपी, मुख्यालय, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.05.30 19:11:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15629202

जन आधार

जन आधार

परिशिष्ट–1

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 28.05.2025 को आयोजित 11वीं बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची

1.	श्री सुरेश कुमार ओला, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2.	श्री राजेन्द्र सिंह तंवर, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3.	श्री वृद्धिचन्द बुनकर, निदेशक (वित्त), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
4.	श्री विनेश सिंघवी, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
5.	श्री निर्मल कुमार सेठी, निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
6.	श्री वाई0के0 जैन, तकनीकी निदेशक (जन आधार), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
7.	श्री उमेश जोशी, एस.ए. (संयुक्त निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
8.	श्री सूर्यकांत गुप्ता, एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
9.	श्री सुनील चौधरी, एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
10.	श्री नन्द किशोर शर्मा, एसीपी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
11.	श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
12.	श्री मनीष कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
13.	श्री रवि प्रकाश शर्मा, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
14.	श्रीमती सविता रावत, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
15.	श्री रमेश चन्द कारीगर, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
16.	श्रीमती सुनिता मीणा, प्रोग्रामर, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।

Signature valid

Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.05.30 19:11:27 IST
Reason: Approved